न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – डिक्री 28 सन् 2020
पंजीयन दिनांक 18.03.2020

1. रामचन्द्र पिता खाना जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. शम्भुलाल पिता खाना जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. ओमप्रकाश पिता खाना जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. मांगीबाई पत्नि खाना जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
5. सुरेश पिता हीरा जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
6. लाभचन्द पिता हीरा जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण/वादीगण

विरूद्ध

1. उदयलाल पिता प्यारा जाति बलाई निवासी गोविन्दपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

–रेस्पोडेन्ट्गण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
प्रकरण संख्या 114/2015 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2020

उपस्थित–
1. खुमराज कुमावत–अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3

निर्णय **दिनांक 20.12.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा गुलाना तहसील बेगूँ के खाता सं. 179 मे दर्ज आराजी नम्बर 61,158,159, 200, 297, 307, 308, 407, 410, 422,423,424,426,528,631,632,634,635 एवं 636 कुल किता 19 कुल रकबा 6.7810 हैक्टेयर स्थित है जो पैतृक कृषि आराजीयात होकर अपीलान्ट्गण वादीगण ही उक्त समस्त कृषि आराजीयात के अधिकारी है और कब्जा व उपयोग उपभोग भी वादीगण अपीलान्ट्गण का ही चला आ रहा है। पारिवारिक सजरे के अनुसार फत्ता व घीसा दो भाई थे, फत्ता के पेमा व भुरिया दो लडके थे। घीसा के कोई नरसंतान नही थी। केवल एक लडकी झमकु थी। झमकु 3 माह की थी, तभी घीसा का स्वर्गवास हो गया, जिससे घीसा के सभी सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकर्म फत्ता ने करवाये व घीसा की लडकी झमकु की शादी भी फत्ता ने कराई थी। घीसा के

जायन्दा लडका नही होने से विरासत की पगडी फत्ता को जाति समाज ने घीसा की पत्नि वरजी की सहमति से बंधाई व कुलिया चल-अचल कृषि आराजीयात का फत्ता ही वारिस होकर कुलिया कृषि आराजीयात फत्ता के स्वामित्व मे आई। संवत् 2022 मे विवादित कृषि आराजीयात का भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-प्रबन्ध किया गया। उस समय उक्त विवादित कृषि आराजीयात फत्ता के वारिसान पेमा व भुरिया के नाम चली आ रही थी। भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने घीसा की पुत्री झमकु का नाम भू-प्रबन्ध के खसरे मे कब्जा नही होते हुए अंकित कर दिया। झमकु की मृत्यु के बाद उसके वारिस मांगीलाल व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी का नाम अंकित कर दिया। मांगीलाल की मृत्यु होने से अकेले रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी को नाम हटाने बाबत् कहा परन्तु टाल-मटोल की दिनांक 02.07.2015 को भी कहा तो मना कर दिया जिससे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 व मृतक मांगीलाल का नाम जमाबन्दी से हटाया जाकर उनके नाम अंकित कृषि आराजीयात अपीलान्टगण वादीगण के नाम घोषित की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। दिनांक 07.01.2019 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। उक्त पत्रावली मे अग्रिम कार्यवाही करते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से साक्ष्य मे शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उक्त पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन थी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य व गुणावगुण पर विचार किये निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित कर दिये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्टगण सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण ने बहस के विचाराधीन रहते हुए अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी का आवेदन मय शपथ पत्र राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की, व यह निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है। जो कि अपीलान्टगण वादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहे है, जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के अपील के विचाराधीन रहते हुए न्यायालय आप मे पेश है। उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, खसरा सेटलमेन्ट की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है, उक्त सभी दस्तावेज

राजस्व अपील प्राधिकारी
सिरोही (राज.)

वादित कृषि आराजीयात से सम्बन्धित है। उक्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे पूर्व से ही प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति मे उक्त दस्तावेज जो अपीलान्टगण वादीगण की ओर से इस न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये है, उनका कोई औचित्य नही होने से व उक्त सभी दस्तावेज अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे पूर्व से ही रेकार्ड पर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी अस्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण ने घोषणा का वादपत्र अनुसार मोजा गुलाना तहसील बेगूँ की खाता सं. 179 मे वर्णित आराजी किता 19 रकबा 6.7810 हैक्टेयर कृषि आराजीयात खातेदार फत्ता व घीसा के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड रही है। खातेदार घीसा के कोई नरसंतान नही थी केवल एक लडकी झमकु थी। झमकु 3 माह की थी तभी घीसा का स्वर्गवास हो गया। जिससे घीसा के सभी सामाजिक व धार्मिक क्रियाकर्म अपीलान्टगण वादीगण के दादा फत्ता द्वारा सम्पन्न किये गये। घीसा की लडकी झमकु की शादी भी फत्ता के द्वारा करवाई गई। घीसा की पगडी भी घीसा की पत्नि वरजी की सहमति से फत्ता के बंधवाई। फत्ता अपने जीवनकाल तक घीसा के हक व हिस्से की कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता रहा है। भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम आदेश के सेटलमेन्ट के दरम्यान उक्त कृषि आराजीयात में झमकु का नाम अंकित कर दिया एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् विरासत से उनके वारिसान मांगीलाल व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम अंकित कर दिया जिसका कि भू-प्रबन्ध अधिकारियो को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही होते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व मृतक मांगीलाल की माता झमकु का नाम अंकित किया है जिसको दुरस्त कराने व विवादित कृषि आराजीयात को अपने खातेदारी मे घोषित कराने का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की प्रोपर तामील हुई फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से साक्ष्य ली जाकर उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने खातेदारी की घोषणा का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित कृषि आराजीयात मोजा गुलाना तहसील बेगूँ की खाता सं. 179 मे दर्ज कुल किता 19 कुल रकबा 6.7810 हैक्टेयर कृषि भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात फत्ता व घीसा की थी। फत्ता के पेमा व भुरिया दो लडके थे। घीसा के नरसंतान नही होकर एक लडकी झमकु थी। घीसा की मृत्यु के बाद घीसा की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वरदी की अधिकारिणी पत्नि वरदी थी। वरदी के स्वर्गवास के बाद एक मात्र झमकु अधिकारी थी। जिसका नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित किया गया है। झमकु के दो पुत्र मांगीलाल व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी है। झमकु की विरासत के मांगीलाल व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ही अधिकारी है। सेटलमेन्ट के दरम्यान राजस्व रेकार्ड मे वरजी का नाम दर्ज रेकार्ड था। वरजी झमकु की माता थी, जिससे सेटलमेन्ट मे वरजी के बजाय झमकु का नाम भू-प्रबन्ध अधिकारियो के द्वारा अंकित किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 प्रस्तुत की गई है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी व मांगीलाल 1/3 हक व हिस्से के रेकार्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी एवं मांगीलाल, झमकु के पुत्र है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1) अनुसार अपनी माता झमकु के वैधानिक उत्तराधिकारी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्याय़ालय मे घीसा के भाई फत्ता के वारिसान की ओर से जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, उसे किसी भी कानूनी स्थिति से प्रमाणित होना नही मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से जिन तथ्यो के आधार पर इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है, स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के प्रकरण संख्या 114/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2020 यथावत रखे जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 38/2020 /डिक्री

(1) श्री रामचन्द्र पिता रवाना जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूं जिला बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
(2) शम्भुलाल पिता रवाना जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
(3) ओमप्रकाश पिता रवाना जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री उदयलाल पिता प्यारा जाति बलाई निवासी गोविन्दपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
(2) भूमिधारी और्ये तहसीलदार बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
(3) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

-रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बेगूं दि. 11-02-2020 प्रकरण सं. 114/2015 अन्तर्गत धारा 88 RTA रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 20-12-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमराज कुमावत रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रेस्पो. प्र. 1 अवसर समाप्त अनुपस्थित / सरकारी अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 व 3 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलांटगण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूं के प्रकरण संख्या 114/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 11-2-2020 यथावत रखे जाते है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....-........ रुपये हैं, ...-........ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....-........ द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 20-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(हस्ताक्षर)
हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 20-12-2022 अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(4) मांगीबाई पत्नि रखाना जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ ।

(5) सुरेश पिता हीरा जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ ।

(6) लाभचन्द पिता हीरा जाति बलाई निवासी गुलाना तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)